संख्या-02/2025/आई0/895119/चौरासी-1-2025

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 03 मार्च, 2025

विषय:- नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय भवन की मरम्मत/ नवीनीकरण (रेनोवेशन) कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36/निविमावि0-नजारत-भवन/2022-23, दिनांक 31 जनवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा धनराशि रू0-75.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए कार्यालय भवन नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 07 बालाकदर रोड, उ0प्र0 लखनऊ के अवशेष मरम्मत/रेनोवेशन कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि रू0-94.39 लाख की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- अत: उक्त अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 राजस्व लेखाशीर्षक "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद 29-अनुरक्षण में उपलब्ध प्रावधान रू0-100 लाख जो शासनादेश संख्या-03/2024/आई/ 541255/चौरासी-1-2024/001-336-2024,दिनांक 15 अप्रैल, 2024 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी है, में से प्रश्नगत भवन के अवशेष मरम्मत/रेनोवेशन कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष(द्वितीय किस्त) कुल धनराशि रू0-94.39 लाख (रूपये चौरानवे लाख उनतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की होगी।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज, जी0एस0टी0(प्रतिशत प्रभार) (यदि लागू हो तो) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा कार्य समय से पूर्ण हो जाये इसका सतत् निरीक्षण किया जायेगा।

(9) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप समय से पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10)शासनादेश दिनांक 10-02-2024 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक "3475-00-106-00-03-29" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 में प्रशासकीय विभाग प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभिषेक गोयल
विशेष सचिव।

संख्या-02/2025/आई0/895119(1)/चौरासी-1-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक यूनिट-8,इन्द्रपुरी निकट पुलिस चौकी, भोला खेड़ा, लखनऊ-226023

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ

8- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/2

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।